न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर केम्प सागर म.प्र.

त्रिलोकसिंह तनय गोविंदराम खन्डूजा
निवासी मांगज वार्ड नं 1, पंलदी चौक,
दमोह जिला दमोह ....निगरानीकर्ता

विरूद्व

म.प्र.शासन ......अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् कलेक्टर दमोह द्वारा प्रकरण क्रमांक 63/बी-121/15-16 पारित आदेश दिनांक 29/6/16 से दुखित होकर तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र 12647/16 में पारित आदेश दिनांक 24/10/16 के परिपालन में निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा हिरदेपुर स्थित भूमि खसरा क्र 31/1 रकवा 0.18 डिसमिल भूमि का पट्टा आवेदक को वर्ष 1975 में दिया गया था तथा वर्ष 1999 में उक्त भूमि का तबादला खसरा क्र 369/1 रकवा 0.22 डिसमिल भूमि से किया गया था। निगरानीकर्ता द्वारा अपनी भूमि खसरा क्र 369/1 के सीमांकन हेतु अनेकों आवेदन पत्र प्रस्तुत किए गए परंतु उसकी भूमि का सीमांकन नहीं किए जाने के कारण उसके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका क्र 19250/14 प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13/4/15 को अपना अंतिम आदेश पारित कर तहसीलदार को निगरानीकर्ता की भूमि का सीमांकन किए जाने का आदेश दिया गया, परंतु माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश का पालन ना किए जाने पर आवेदक द्वारा एक अवमानना याचिका क्र 701/16 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें कलेक्टर दमोह एंव तहसीलदार दमोह को नोटिंस जारी होने पर तहसीलदार दमोह द्वारा दिनांक 30/5/16 को एक पत्र कलेक्टर दमोह को प्रेषित किया गया जिसके आधार पर कलेक्टर दमोह द्वारा विधि विपरीत कार्यवाही करते हुए आवेदक के विरूद्व दिनांक 29/6/16 को अपना विधि विपरीत आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा

XXXIX(a)-BR(H)-11

-2-

राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश –ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R–4077एक/16.....जिला .....दमोह.....

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-1-17	1– आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री नितेन्द्र सिंधई उपस्थित तथा अनावेदक शासन पक्ष से पैनल अधिवक्ता उपस्थित। उभय पक्ष के तर्क सुने। यह निगरानी कलेक्टर दमोह जिला दमोह म0प्र0 के प्र. क्र. 63/बी –121/वर्ष 15–16 में पारित आदेश दिनांक 29/06/16 के विरूद्व तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका क्र 12647/16 में पारित आदेश दिनांक 24/10/16 के पालन में प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक का तर्क है कि भूमि मौजा हिरदेपुर स्थित भूमि खसरा क्र 31/1 रकवा 0.18 डिसमिल भूमि का पट्टा आवेदक को वर्ष 1975 में दिया गया था एंव वर्ष 1999 में उक्त भूमि का तबादला खसरा क्र 369/1 रकवा 0.22 डिसमिल प्रश्नाधीन भूमि से किया गया था। आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किए जाने हेतु अनेक आवेदन पत्र दिए गए परंतु सीमांकन ना किए जाने के कारण उसके द्वारा रिट याचिका 19250/14 माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी जिसमें दिनांक 13/4/15 को आदेश पारित कर सीमांकन किए जाने के निर्देश दिए गए किन्तु फिर भी सीमांकन ना किए जाने के कारण आवेदक द्वारा एक अवमानना याचिका क्र 701/16 प्रस्तुत की गयी जिसमें कलेक्टर व तहसीलदार दमोह को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किए जाने पर तहसीलदार दमोह द्वारा दिनांक 30/5/16 को एक पत्र कलेक्टर दमोह को प्रेषित किया गया तथा उक्त पत्र के आधार पर कलेक्टर दमोह द्वारा आवेदक का पट्टा निरस्त करने का आदेश पारित किया गया जिसके विरूद्व आवेदक द्वारा एक रिट याचिका 12647/16 प्रस्तुत की गयी जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सक्षम न्यायालय के समक्ष कार्यवाही हेतु आदेशित किया है	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	जिस कारण से निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। 3– आवेदक का तर्क है कि प्रश्नाधीन भूमि आवेदक को व्यवहार न्यायधीश वर्ग 2 दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत व्यवहार वाद क्र 47अ/2001 में आपसी समझौता के आधार पारित आदेश दिनांक 10/10/13 के द्वारा प्राप्त हुई थी। आवेदक द्वारा तर्क में यह भी कहा गया है कि पूर्व में एक व्यक्ति शिकायतकर्ता अशोक कुमार सुरेखा द्वारा भी आवेदक का पट्टा निरस्त किए जाने हेतु एक आवेदन पत्र कलेक्टर दमोह के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जिसे तत्कालीन कलेक्टर द्वारा निरस्त कर आवेदक का पट्टा वैध मान्य किए जाने का आदेश पारित किया था। आवेदक द्वारा अपने तर्क में यह भी कहा गया कि कलेक्टर दमोह द्वारा आवेदक का पट्टा इस आधार पर निरस्त किया है कि पट्टा प्राप्ति दिनांक 5/9/1975 को आवेदक अवयस्क था जबकि आवेदक उक्त दिनांक को वयस्क हो गया था। 4– आवेदक का यह भी तर्क है कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किए जाने का आदेश दिया गया था परंतु कलेक्टर दमोह द्वारा करीब 41 वर्ष की लंबी समय अवधि उपरांत स्वप्रेरणा की शक्तियों का प्रयोग कर आवेदक का पट्टा निरस्त किया गया है। तदसंबंध में राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्व म.प्र.राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजाचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इंडिया एस.एस.सी.44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस. के.गंगेले ने वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि म.प्र.राज्य तथा अन्य रे.नि. 2013 पृष्ठ 8 में भी 180 दिन के बाहर ऐसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है प्रतिपादित किया है। उपरोक्त आधारों पर आवेदक द्वारा निगरानी स्वीकार किए जाने का अनुरोध किया गया है।	

K 4077-5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	5— उभय पक्ष के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का तथा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रकरण में यह निर्विवादित तथ्य है कि भूमि खसरा क्र 31/1 रकवा 0.18 डिसमिल का पट्टा दिनांक 5/9/1975 को आवेदक को प्रदत्त किया गया था। तथा यह भी निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक द्वारा प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किए जाने के आवेदन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा समस्त कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है। आवेदक को पट्टा पर प्राप्त भूमि के स्थान पर मौजा हिरदेपुर स्थित भूमि खसरा क्र 369/1 रकवा 0.22 डिसमिल तबादला में प्राप्त हुई जिसका सीमांकन आवेदक द्वारा चाहा गया था। कलेक्टर दमोह के प्रकरण क्र 610/12–13 में पारित आदेश दिनांक 22/7/13 के अवलोकन से स्पष्ट है कि स्वंय कलेक्टर दमोह द्वारा आवेदक के पट्टे को वैध मान्य किया गया था ऐसी स्थिति में बिना अनुमति के कलेक्टर दमोह को उनके पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित का पुर्नविलोकन करने का कोई क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था इस आधार पर कलेक्टर दमोह का आदेश क्षेत्राधिकारिता विहीन है। प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्र 47अ/2001 में पारित आदेश दिनांक 10/10/03 के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी दमोह द्वारा दर्ज किया गया था तथा व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी होने के कारण भी कलेक्टर दमोह का आदेश मैं स्थिर रखे जाने योग्य नहीं पाता हूँ। जहां तक प्रश्न आवेदक की पट्टा प्राप्ति दिनांक पर आयु का है आवेदक की कक्षा दसवीं की अकंसूची जिसमें उसकी जन्मतिथि दिनांक 1/7/1956 अंकित है के अनुसार 19 वर्ष से अधिक है जो कि मेरे मत अनुसार पट्टा प्राप्ति हेतु उपयुक्त है। कलेक्टर दमोह के आदेश के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि कलेक्टर दमोह द्वारा तहसीलदार दमोह के पत्र के आधार पर स्वप्रेरणा से प्रकरण में कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया जो कि लगभग 41 वर्ष की लंबी अवधि पश्चात् किया गया है इस आवेदक द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों के प्रकाश में कलेक्टर दमोह का आदेश स्थिर रखे जाना मैं उचित नहीं पाता हूँ।	

R 4077 5/16

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
	अतः प्रकरण की समग्र परिस्थितियों पर विचार के उपरान्त प्रकरण की अद्यतन स्थिति के परिप्रेक्ष्य में आवेदक का अनुरोध स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है । 6— उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाकर कलेक्टर दमोह का आदेश दिनांक 29/6/2016 निरस्त किया जाता है तथा प्रश्नाधीन भूमि खसरा क्र 369/1 रकवा 0.22 डिसमिल पर राजस्व/कम्प्यूटर अभिलेख में आवेदक का नाम यथावत् रखा जाता है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	